न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 44/2014 (उदयपुर आर्डर)

1. श्री वरदा पिता ठाकुर जी भील निवासी वीरधोलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री कुका पिता नाना जी भील निवासी वीरधोलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
3. श्री प्रताप पिता सवा जी भील निवासी वीरधोलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री मोहन पिता गोदा जी भील निवासी वीरधोलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
2. सरकार जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर
3. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वीरधोलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध जिला कलक्टर उदयपुर दिनांक 29–07–2014 प्रकरण संख्या 39/2012 (आवंटन निरस्ती)

———

उपस्थित :–1– .श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2

——————/——————

आदेश **दिनांक 20–11–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा विपक्षी रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध एक आवेदन अन्तर्गत नियम–14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि भूमि आवंटन) नियम–1970 के तहत आवेदन पेश कर निवेदन किया कि मौजा विरधोलिया की आराजी नंबर 339 रकबा 5 बीघा भूमि पर प्रार्थीगणों का कब्जा उनके पिता के समय से ही चला आ रहा है। उक्त भूमि का विपक्षी द्वारा धोखे से व मिस–रिप्रजेन्टेशन से आवंटन अपने नाम करवा लिया। विपक्षी अपने पिता के

साथ में ही निवास करता था। उस समय वह भूमिहीन काश्तकार नहीं था। उनके पास 16 बीघा भूमि थी। डबल करने पर 25 बीघा से भी अधिक जमीन होती है। विपक्षी द्वारा पटवारी से मिलकर उक्त भूमि को आवंटन अपने नाम करवा लिया। जबकि उक्त जमीन में से 1 बीघा भूमि स्कूल के काम आ रही है। कुछ जमीन रास्ते के काम आ रही है। बाकी जमीन पर प्रार्थीगणों का कब्जा होकर 8 मकान बने हुए है। प्रत्येक में अलग अलग परिवार रह रहे है। विपक्षी द्वारा आवंटन शर्तो की भी स्पष्ट रूप से अवहेलेना की गई है। वक्त आवंटन आवंटन कमेटी का कोरम भी पूर्ण नहीं था। विपक्षी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं होने से गांव वालों के हक में लिखतम भी कर दी। परन्तु जमीनों के भाव बढ़ने से व कुछ भूमाफियाओं के सिखावे में आने से अपनी ही लिखतम से पलट गया। आवंटी द्वारा इस जमीन पर एक भी दिन काश्त नहीं की गई है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी द्वारा भूमि का आवंटन धोखे व मिस–रिप्रजेन्टेशन से करवाये जाने से खारिज फरमाया जावे व भूमि को पुनः बिलानाम सरकार दर्ज करवाये जाने के आदेश प्रदान करावे।

उक्त आवेदन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट विपक्षी संख्या–1 द्वारा पेश कर निवेदन किया कि मौजा विरधोलिया की आराजी नंबर 339 रकबा 5 बीघा भूमि पर विपक्षी का कब्जा 40 वर्षो से होकर वर्तमान में उक्त आराजीयात मुझ विपक्षी के नाम खातेदारी दर्ज हो चुकी है। मुझ विपक्षी को दिनांक 25–10–77 को अन्त्योदय अभियान के अन्तर्गत विधिवत आवंटन कमेटी द्वारा भूमि का आवंटन किया गया है। विपक्षी के पिता के खाते की भूमि व उसके 7 पुत्र होकर प्रत्येक के हिस्से की भूमि बांटने पर भी विपक्षी भूमिहीन काश्तकार होने की रिपोर्ट की गई है। आवंटन के समय विपक्षी संयुक्त परिवार में नहीं रहकर अलग निवास करता था। उस समय उसके किसी प्रकार की भूमि दर्ज नहीं थी। वादग्रस्त भूमि पर विपक्षी का ही कब्जा होने से उसे विधिवत आवंटन की गई। विपक्षी द्वारा प्रार्थी संख्या–1 को उक्त आराजी से डेढ़ बीघा भूमि मिट्टी की ईट बनाने हेतु किराये दे रखी थी। लेकिन वर्तमन में भू–दलाल सक्रिय होने से गांव का ही भू–दलाल गांव वालों की मिली भगत से प्रार्थीगण को मोहरा बनाकर मुझ विपक्षी की उक्त आवंटित भूमि हड़पना चाहता है। मैं विपक्षी अनपढ होकर धोखे से किसी तरह अंगुठा लगवाया मुझे मालूम नहीं। गांव वालों के सामने मेरे द्वारा कोई लिखतम नहीं की गई। मुझ विपक्षी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की

गई होती, तो भूमि मुझ विपक्षी के नाम खातेदारी से दर्ज नहीं होती। मेरे द्वारा किसी प्रकार का धोखे से या मिस–रिप्रजेन्टेशन से आवंटन नहीं करवाया गया है। विपक्षी को नियमानुसार भूमिहीन काश्तकार होने से भूमि का आवंटन किया गया है। मेरे द्वारा उक्त भूमि पर यूनियन बैंक शाखा खेमली से रहन रखकर ऋण प्राप्त किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन निरस्ती मेन्टेनेबल नहीं होने से इसी स्तर पर सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण मं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विपक्षी के अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता अपीलान्ट प्रार्थी को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 29–7–2014 से अपीलान्ट प्रार्थी का आवेदन खारिज कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 29–7–2014 से रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 22–9–2014 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 आवंटी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 सरकार की और से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुये। प्रकरण में दौराने कार्यवाही रेस्पोन्डेन्ट संख्या–3 विद्यालय को पक्षकार संस्थित किया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील अपीलान्ट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं राजकीय अधिवक्ता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय व विधि के विपरीत है। आवंटन के समय ओक्यूपाईड व अन–ओक्यूपाईड भूमि की सूची पेश नहीं की गई। विपक्षी अपने पिता के साथ रहता था, वह भूमिहीन काश्तकार नहीं था। उसके पास 25 बीघा जमीन थी। आवंटन फार्म पर रेस्पोन्डेन्ट के हस्ताक्षर नहीं थे, उद्घोषणा जारी व विधिवत प्रकाशित नहीं हुई। आवंटन शर्तो की पालना नहीं की तथा भूमि पर उसका कब्जा नहीं है। आवंटन धोखे व मिस–रिप्रजेन्टेशन से करवाया गया है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि रेस्पोन्डेन्ट आवंटी को भूमि आंवटन 25–10–1977 को होकर उसे भूमि का कब्जा वर्ष 1977 में सिपुर्द करने के बाद दिनांक 25–10–1977 को उसका आवंटन आदेश जारी किया गया है तथा उसके बाद राजस्व रेकार्ड में गैर–खातेदार के रूप में उसकी प्रविष्ठी होने के बाद नामान्तरकरण संख्या 571 दिनांक 15–5–1993 से आवंटन के 15 वर्ष बाद उसे खातेदारी दिये जाने का नोट भी जमाबन्दी सम्वत् 2049–2052 में लगा हुआ है। आवंटन निरस्तीकरण का आवेदन आवंटन वर्ष 1977 के 35 वर्षो बाद सन् 2012 में किया गया है। जबकि आवंटी को आवंटन हुए 35 वर्ष तथा खातेदारी मिले को 19 वर्ष गुजर चुके है। इतनी अधिक अवधि के बाद आवंटी का उजर की भूमि ओक्यूपाईड थी, मान्य नहीं है न ही इस हेतु कोई प्रभावी साक्ष्य उपलब्ध है। आवंटी के भूमिहीन नहीं होने बाबत् भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। क्योंकि विपक्षी आवंटी द्वारा पिता से अलग रहने तथा 7 भाई होने का अखण्डित जवाब पेश किया है। आवंटन आवेदन पर हस्ताक्षर नहीं होना एक तकनिकी त्रुटि है, जिसकी 35 वर्षो बाद अन्वेक्षण की उपादेयाता नहीं है। अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा उद्घोषणा नहीं होने व प्रकाशित नहीं होने का भी प्रमाणन नहीं करवाया है। आवंटन शर्तो की अपालना भी अप्रमाणित है। आवंटन होने के 35 वर्षो बाद आवंटन निरस्तीकरण किये जाने के लिए कोई उचित व पर्याप्त आधार नहीं है। जबकि खातेदारी मिले भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व 19 वर्ष गुजर चुके है। अपीलान्ट सिर्फ अप्रमाणित अतिक्रमण/कब्जे के आधार के आधार पर आवंटन के 35 वर्षो बाद तथा खातेदारी मिलने के 19 वर्षो बाद आवंटन निरस्तीकरण का जो आवेदन पेश किया है उसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने में किसी प्रकार की तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं की है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29–7–2014 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20–11–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर